भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2743

जिसका उत्तर 16 मार्च, 2023 को दिया जाना है।

ताप विद्युत संयंत्रों में को-फायरिंग बायोमास पैलेट्स

2743. श्री सत्यदेव पचौरी:
डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियनः
श्री जगनाथ सरकार:
सुश्री सुनीता दुग्गलः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कोयले पर निर्भरता कम करने और पराली जलाने के कारण होने वाले वायु-प्रदूषण को कम करने के लिए ताप विद्युत संयंत्रों में को-फायरिंग बायोमास पैलेट्स के लाभों का पता लगाने के लिए प्रयोग किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ताप विद्युत संयंत्रों में को-फायरिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले बायोमास पैलेट्स के उत्पादन के लिए कोई विस्तृत रणनीति या परियोजना/कार्यक्रम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : एनटीपीसी दादरी कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र में एनटीपीसी - एनईटीआरए द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपीज़) में को-फायरिंग बायोमास के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए प्रयोग किए गए थे। इन अध्ययनों के माध्यम से, यह सुस्थापित किया गया है कि विद्युत संयंत्र पर बिना किसी विपरीत प्रभाव के कोयले के साथ टीपीपीज़ में 5% से 10% बायोमास का सुरक्षित रूप से को-फायर किया जा सकता है। इससे टीपीपीज़ की कोयले पर निर्भरता कम करने में सहायता मिली है और यह, कुछ हद तक पराली जलाने के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को कम करता है।

अभी तक कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में लगभग 97000 मीट्रिक टन (एमटी) कृषि-अवशेष आधारित बायोमास का को-फायरिंग किया गया है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 1.2 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) से अधिक की कमी हुई है।

(ग) और (घ) : खेतों में पराली जलाने के कारण विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण के ज्वलंत मुद्दे पर ध्यान देने और ताप विद्युत उत्पादन के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 12 जुलाई, 2021 को ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग से संबंधित राष्ट्रीय मिशन (समर्थ) का शुभारंभ किया और दिनांक 8 अक्तूबर, 2021 को संशोधित बायोमास नीति जारी की गई थी, जिसमें देश में सभी टीपीपीज़ के लिए कोयले के साथ को-फायरिंग में 5% बायोमास पैलेटों का उपयोग करना अनिवार्य किया गया था। सरकार ने निम्नलिखित उपाय भी किए हैं:

(i) बायोमास पेलेट खरीद के लिए जीईएम पोर्टल पर एक अनुकूलित विंडो उपलब्ध कराई गई है।

(ii) बायोमास को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण देने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। इससे पेलेट विनिर्माताओं को सुलभतापूर्वक और तेजी से बैंक ऋण उपलब्ध हो सकेगा। भारतीय स्टेट बैंक ने पेलेट विनिर्माताओं को दीर्घावधिक ऋण प्रदान करने के लिए एक समर्पित स्कीम शुरू की है।

(iii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित वित्तीय सब्सिडी स्कीमें जारी की गई हैं:

i. एमएनआरई स्कीम "बायोमास कार्यक्रम" बायोमास पेलेट संयंत्र स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करती है।
ii. सीपीसीबी "एनसीआर में पेलेट संयंत्र स्थापित करने के लिए एकबारगी वित्तीय सहायता स्कीम" संबंधी दिशानिर्देश देती है।

बायोमास पेलेट निर्माण संयंत्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, परिकल्पित स्कीमें इस प्रकार हैं, (क) एमएनआरई जैव ऊर्जा स्कीमें जिसमें पेलेट विनिर्माण संयंत्रों को 9 लाख रुपये प्रति एमटीपीएच (मीट्रिक टन प्रति घंटा) केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में 45 लाख रुपये प्रति संयंत्र प्रदान किए जाएंगे। (ख) 14 लाख रूपये प्रति टन प्रति घंटा उत्पादन क्षमता की एकबारगी सहायता द्वारा, नोन-टॉरिफ़ाइड संयंत्र की स्थापना के लिए पर्यावरण संरक्षण प्रभार (ईपीसी) निधि के अंतर्गत सीपीसीबी की वित्तीय सहायता, परंतु अधिकतम सीमा 70 लाख रुपए की होगी और टॉरिफ़ाइड संयंत्र स्थापित करने के लिए, 28 लाख रुपये प्रति टन प्रति घंटा उत्पादन क्षमता की एकबारगी पूंजीगत सहायता, परंतु अधिकतम सीमा 1.40 करोड़ रुपए की होगी। इन दिशानिर्देशों के माध्यम से उपयोग के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

****